न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबुलाल जाट, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या 03/2019(गत मु.नं.77/2018)
कम्प्यूटर नं.(2019/00003 गत 2018/00124)

प्रार्थी

1. चन्द्राराम पुत्र गंगाराम जाति बावरी उम्र 90 वर्ष निवासी राजपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मुस्ताक खॉ पुत्र नसीर खॉ
2. सतार खॉ पुत्र नसीर खॉ
3. मनभरी बानो पत्नी नसीर खॉ
4. रजीया बानो पुत्री नसीर खॉ
5. शास्ता बानो पुत्री नसीर खॉ समस्त जाति कायमखानी निवासी कायमखानियों की ढ़ाणी, राजपुरा तहसील कुचामनसिटी
6. उप पंजीयक कुचामनसिटी (नागौर)
7. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (नागौर)

प्रार्थना—पत्र रास्ता कायम करने बाबत अन्तर्गत धारा 251(ए) R.T.Act 1955
उपस्थित :— श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
श्री माणकचन्द चौधरी अधिवक्ता अप्राथीगण 1 से 5 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :—26.06.2019

प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी राजपुरा तहसील कुचामनसिटी के खेत खसरा संख्या 23 रकबा 1.41 हैक्टर भूमि की खातेदारी दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 कायमखानियों की ढ़ाणी राजपुरा तहसील कुचामनसिटी के पुख्ता निवासी है जिनकी खसरा नम्बर 22 रकबा 4.55 हैक्टर भूमि सहखातेदारी की दर्ज चली आ रही है, प्रार्थी के खसरा नम्बर 23 की भूमि में निवास स्थान मकान इत्यादि बनाकर निवास करता आ रहा है जिसके आने जाने का कोई कटाणी रास्ता नही है, जिसके आने जाने के लिए खसरा नम्बर 22 की पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे दक्षिण से उत्तरी तरफ खसरा संख्या 23 की सीमा तरफ 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता की आवश्यकता है जिससे प्रार्थी के आने जाने, मवेशी, गाड़ी, टेक्ट्रर जुताई हेतु आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही हो। प्रार्थी राजकीय सहायता राशि डीएलसी दर अनुसार अप्रार्थीगण को अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम राजपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 23 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 22 में से पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे दक्षिण से उत्तरी सीमा खसरा नम्बर 23 की सीमा तक 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड एवं

...2...

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Scanned by CamScanner

नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को फरमाया जावे व जो भी नियमानुसार डी.एल.सी. दर का मुआवजा बनता है प्रार्थी जमा करवाने के लिये तैयार है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार कुचामनसिटी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनॉक 07.05.2018 को तैयार कर इस न्यायालय में अपने पत्रांक/1121 दिनॉक 10.05.2018 के जरिये दिनॉक 11.5.2018 को प्रस्तुत की है। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी सतार की ओर से उनके अधिवक्ता श्री माणकचन्द चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा। उपं पजीयक कुचामनसिटी की ओर से डी.एल.सी.दर की प्रति प्रस्तुत की गई। अप्रार्थीगण संख्या 3 4 5 की तलब शेष रही, इसी दौरान अप्रार्थीगण द्वारा मौका रिपोर्ट पुनः तलब किये जाने हेतु प्रस्तुत किया, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनॉक 17.05.2018 को खारिज किया गया, जिसकी निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में सत्तार खॉ पुत्र नसीर खॉ कायमखानी राजपुरा द्वारा की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 4774/2018 सत्तार खॉ बनाम चन्द्राराम वगैरह दर्ज कर विधिवत सुनवाई की गई तथा इस न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनॉक 06.12.2018 को आंशिक रूप से निगरानी स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया गया, व उभय पक्ष की उपस्थिति में स्वयं तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाकर मूल पत्रावली पुनः इस न्यायालय को लौटाई गई तथा पुनः मौका रिपोर्ट तलब कर आदेश पारित करने के आदेश दिये गये। प्रकरण दिनॉक 09.01.2019 को पुनः दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस न्यायालय द्वारा पत्रांक/04 दिनॉक 10.01.2019 को तहरीर जारी की गई। प्रकरण के विचाराधीन दौरान उभय पक्षकारान प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 से 5 में मध्य राजीनामा हो गया तथा दिनॉक 20.06.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा लिखित में प्रस्तुत किया, जो तस्दीक होकर शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारान ने राजीनामा में कथन किया है कि " प्रकरण पत्रावली मे दोनो पक्षकारान की आपसी सहमति व लाक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा अप्राथीगण मुस्ताक खॉ पुत्र नसीर खॉ सत्तार खॉ पुत्र नसीर खॉ मनभरी बानो पत्नि नसीर खॉ रजिया बानो पुत्र नसीर खॉ शास्ता बानो पुत्री नसीर खॉ जाति समस्त कायमखानी मुसलमान निवासी कायमखानियो की ढ़ाणी राजपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर वालो ने अपनी पूर्ण रजामंदी से अपने खेत खसरा नम्बर 22 मौजा राजपुरा के पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 12 फीट चौड़ाई व 173 मीटर लम्बाई का रास्ता खसरा नम्बर 23 की सीमा तक अप्रार्थीगण ने प्रार्थी चन्द्राराम को दे दिया है तथा प्रार्थी चन्द्राराम से अप्रार्थीगण ने रास्ता के एवज में सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली है अब उक्त राजीनामें के अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 22 मौजा राजपुरा मे से खसरा नम्बर 23 तक आवागमन के लिए 12 फीट चौड़ाई व 173 मीटर लम्बाई का रास्ता पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे [illegible] अप्रार्थीगण ककी पूर्ण सहमति है तथा माफिक राजीनामा आदेश फरमाकर [illegible] में तरमीम कर दिया जावे तो अप्रार्थीगण की पूर्व सहमति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Scanned by CamScanner

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा बहस दौरान पक्षकारान अधिवक्ताओ ने कथन किया है कि प्रकरण मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जावे। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत " मौका रिपोर्ट दिनॉक 07.05.2018 में प्रार्थी चन्द्राराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 23 में आने जाने के लिए कोई कटाणी रास्ता नही है खसरा नम्बर 22 मे पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौड़ाई तथा 170 मीटर लम्बाई भूमि रास्ते में जायेगी, खसरा नम्बर 23 में पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 22 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे प्रस्तावित रास्ता सबसे नजदीक रहेगा। " उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनॉक 20.06.2019 मे भी कथन किया है कि प्रार्थी चन्द्राराम को राजपुरा के खसरा नम्बर 23 मे पहुचने हेतु खसरा नम्बर 22 अप्रार्थीगण 1 से 5 की खातेदारी सुदा भूमि मे से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 12 फीट चौड़ाई तथा 173 मीटर लम्बाई का रास्ता दे दिया जावे तो अप्रार्थीगण 1 से 5 की सहमति है। दोनो पक्षो की भूमि सेपरेट खाते की भूमि दर्ज चली आ रही है तथा अप्रार्थीगण 1 से 5 ने रास्ता के एवज में सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त करना भी स्वीकार किया है। अतः प्रार्थना–पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार आदेश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम राजपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 23 मे आने जाने व आमद रफत हेतु राजपुरा के खसरा नम्बर 22 में से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे चौड़ाई 12 फीट X लम्बाई 173 वर्ग मीटर का गैर मुमकीन रास्ता (कटाणी) कायम किया जाता है । रास्ता भूमि का मुआवजा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 ने सहमति प्रदान कर लेने से इंकार किया है। तहसीदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकीन रास्ते का अमल दरामद करने तथा नक्शे में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने हेतु तहरीर जारी हो ।

आदेश आज दिनॉक 26.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner